

**कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल**

क्रमांक १० / 302 / आउशि / अनु.ब. / 18
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14 / 01 / 2019

1. समस्त प्राचार्य / शिक्षा अधिकारी संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय म0प्र0।
2. समस्त प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय म0प्र0।

विषय :- अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक अमले को यू.जी.सी. एवं गैर शैक्षणिक अमले को छठवें वेतनमान का दिनांक 01.01.2006 से 31.03.2015 तक देय ऐरियर्स की पांचवी किश्त की जानकारी विषयक।

संदर्भ:- म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 73-5/2014/38-3 दिनांक 19/20.03.15 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1401/260/अनु/16 दिनांक 09.08.16 तथा वित्त विभाग का आदेश क्रमांक 445/587/2017/ब-1/4 दिनांक 09.04.18


—00—

संदर्भित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में विषयांकित ऐरियर्स की पांचवी/अंतिम किश्त का भुगतान किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रपत्र में जानकारी 07 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित :-

शासकीय अग्रणी महाविद्यालय.....

क.	महाविद्यालयों का नाम	ऐरियर्स की कुल राशि	भुगतान हो चुकी प्रथम किश्त की राशि	भुगतान हो चुकी द्वितीय किश्त की राशि	भुगतान हो चुकी तृतीय किश्त की राशि	भुगतान हो चुकी चतुर्थ किश्त की राशि	शैक्षणिक शुल्क की समायोजित राशि	कॉलम 4 से 7 का कुल योग	भुगतान योग्य पांचवी किश्त हेतु शेष राशि	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
	सकल योग									

नोट :- संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित करते हुए यह प्रमाणीकरण भी करेंगे कि "उपरोक्त भुगतान की जा चुकी राशियों का मिलान कर लिया गया है। पांचवी किश्त के भुगतान के लिए कॉलम-9 में अंकित राशि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राशि की भविष्य में मांग नहीं की जावेगी।"


 (डॉ० सुषमा दुबे)
 संचालक (वित्त)
 उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश